

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- जिला

प्रकरण संख्या:- 63/2025

दिनांक:- 26/6/2025

संबन्ध

श्री 21M/0012/353

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

शुभर नि० रेवतपुरा

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्तगी प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न बस्ताबेज, पटवारी हत्का गीला भू. अ. नि. 31/03/2015 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रेवतपुरा पो ह० गीला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 36 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|---|---|
| 1. | सबन्ध में <u>शुभर</u> | <u>पाँचोडेवा) 353</u> <u>353 गीला</u> <u>शुभर</u> | <u>पाँचोडेवा) 407</u> <u>290/353 गीला</u> <u>शुभर</u> |

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा
 (स० पा०)

प्रतिरिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेब है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री 21M/0012/353 शुभर नि० रेवतपुरा
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा
 (स० पा०)